न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः 01/2019

अपीलांट

1. ग्राम पंचायत कोसेलाव, जरिये सरपंच कोसेलाव, नारायणसिंह पुत्र श्री जीवराजसिंह जाति राजपूत उम्र 61 वर्ष निवासी ग्राम कोसेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
2. रतनलाल पुत्र श्री नवारामजी जाति माली उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. पुखराज पुत्र श्री केरारामजी, जाति खटीक, निवासी ग्राम कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर जिला पाली
2. हनुमानलाल (हनुमानराम) भाटी पुत्र श्री पुनमारामजी, जाति घांची, निवासी ग्राम कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश वैष्णव अपीलांट की ओर से।
विद्वान अभिभाषक श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित रेस्पोडेन्ट्स की ओर से राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28.06.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेश क्रमांक एफ/12(3) (31)/सं.प./राज./16/5109 दिनांक 19.08.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम वकील अपीलांट ने 96 सी.पी.सी प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित कराई गई भूमि में ग्राम की ओरण की भूमि शामिल करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी में दर्ज कराई गई। एवं आवासीय परिवर्तितशुदा भूमि में 40 प्रतिशत क्षेत्र जो रास्ता व जनसुविधाओ का है जो ग्राम पंचायत के खाते में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियो की गलती के कारण दर्ज नहीं किया गया, जिसके कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने ग्राम पंचायत की भूमि पर भी निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया, जिससे ग्राम पंचायत व ग्रामवासियो के हक–अधिकारो के संरक्षण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 14.04.2016 को बैठक में प्रस्ताव लिया गया कि पूर्व में दिनांक 08.09.2011 को एन.ओ.सी हेतु जो प्रस्ताव संख्या 07 लिया गया एवं उसकी पालना मे तत्कालीन संपरच सोनीदेवी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में जो एन.ओ.सी जारी की गई जो गलत व हितो के प्रतिकूल होने से निरस्त करने का प्रस्ताव लिया गया एवं जो भूमि 40 प्रतिशत जनसुविधाओ व रास्तो की ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज करने का आदेश था। किन्तु उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए नामान्तरकण संख्या 2441 संपूर्ण भूमि का रेस्पोडेन्टगण संख्या 01 के नाम दर्ज कर दिया। जो गलत एवं अवैध होने से ऐसे गलत आदेश व नामान्तरकण को खारिज फरमाया जाना आवश्यक होने से ग्राम सभा में ग्राम पंचायत व गांव के हितो के अनुसार उक्त अपीलाधीन आदेश को निरस्त करवाने हेतु चुनौती देना आवश्यक होने से सरपंच को कानूनी कार्यवाही करने हेतु दिनांक 11.09.2016 के प्रस्ताव द्वारा अधिकृत किया गया एवं इस संबध में प्रस्ताव लिया गया। जिस प्रस्ताव की पालना में अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। अत अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र पर जवाब देते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित होने के प्श्चात आदेश के विपरित कयास के तौर पर रेस्पोडेन्टगण द्वारा कोई कृत्य किया भी जाता है तो उससे अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। बल्कि अपीलाधीन आदेश के विपरित किए गए कृत्य के संबध में समस्त प्रकार के विधिक अधिकार अपीलाट ग्राम पंचायत के पास ही उपलब्ध है। एवं जहां तक प्लान में 40 प्रतिशत भूमि रास्ते और सुविधा क्षेत्र के रूप में छोडी गई है, उस बाबत रेस्पोडेन्टगण का न तो कोई स्वामित्व का क्लैम है न ही आधिपत्य का क्लैम है, न ही भविष्य में कोई क्लैम करेगे। उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज क्यों नहीं की, इस बाबत रेस्पोडेन्ट का कोई दोष नहीं है क्योंकि राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद का कार्य रेस्पोडेन्टगण द्वारा नहीं किया जाता है साथ ही उपरोक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत अथवा राज्य सरकार के नाम दर्ज की जाती है तो उतरदाता को कोई आपत्ति नहीं है साथ ही इस बाबत अपनी सहमति भी देते है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014 में जारी एन.ओ.सी को निरस्त करने का प्रस्ताव का प्रश्न है तो ग्राम पंचायत को विधिअनुसार एक बार प्रस्ताव पारित करने के बाद उस प्रस्ताव को रिकॉल करने और उसे निरस्त करने का विधिक रूप से कोई अधिकार नहीं है। ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी न तो रेस्पोडेन्ट को है एवं न ही ऐसी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा दी गई थी। इसके अलावा जिस आदेश को पारित करने की अधिकारित नहीं होती है वह आदेश विधित शून्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

होता है और कानून की दृष्टि में उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। ऐसे किसी भी प्रस्ताव को कोई भी न्यायालय मानने के लिये बाध्य नहीं है। उपरोक्त अपील ग्राम पंचायत के नाम से अवश्य की गई है, लेकिन वास्तविक रूप से ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय नारायणसिंहजी द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को तंग–हैरान परेशान करने की नियत से की गई है। पूर्व में इसी भूमि के संबध में धारा 136 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया गया था और गलत आधारो पर गलत आरोप लगाये गये थे। किन्तु उक्त प्रकरण का अंतिम निस्तारण रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में पारित हुआ है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हस्तगत प्रकरण में जिला कलक्टर द्वारा पारित जैर अपील संपरिवर्तन आदेश क्रमांक एफ/12(3) (31)/सं.प./राज./16/5109 दिनांक 19.08.2016 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 10 (5) में कुल सपरिवर्तित क्षेत्रफल का 40.37 प्रतिशत क्षेत्रफल जन सुविधाओं (पार्क, सडक एवं अन्य जनसुविधाओ) के लिए होगा, जो ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज करने के अंकन है। एवं अपीलांट ग्राम पंचायत कोसेलाव का सरपंच है। जिससे ग्राम पंचायत एवं ग्राम वासियो का प्रतिनिधि होने के नाते अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करना उचित समझते है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। एंव अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दिनांक 06.04.2015 को अपनी खातेदारी आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 1275/1 रकबा 1.26 हैक्टर, खसरा नंबर 1276 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नंबर 1277 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नंबर 1281 रकबा 0.34 हैक्टर कुल रकबा 29900 वर्गमीटर की कृषि भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन आवेदन पत्र पेश किया जिसके साथ दिनांक 08.04.2015 को रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया न ही चेक मीमो पेश किया। दिनांक 06.04.2015 को रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी को कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ हेतु जो आवेदन पेश किया उसके साथ ग्राम पंचायत कोसेलाव की ग्रामसभा दिनांक 08.09.2011 के प्रस्ताव संख्या 07 और उसकी पालना में दिनांक 21.11.2014 को जारी एन.ओ.सी को पेशी किया है जो प्रस्ताव संख्या 07 रेस्पोडेन्ट द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के करीब तीन वर्ष सात माह पूर्व लिया जाना प्रकट किया गया है। उक्त प्रस्ताव पारित किये जाने के बाद उक्त आराजी के संबध में रेस्पोडन्ट संख्या 03 ने अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रकरण उपखंड अधिकारी बाली के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसके विचाराधीन रहते हुए दिनांक 21.11.2014 को रेस्पोडेन्ट के पक्ष में एन. ओ.सी जारी कर दी गई, जो गलत होने के कारण दिनांक 14.04.2016 को बैठक में यह प्रस्ताव लिया गया कि जो एन.ओ.सी दिनांक 08.09.2011 को

उपखण्ड अधिकारी
बाली

प्रस्ताव संख्या 07 की पालना में जारी की गई थी उसे रद्द किया गया साथ ही जिला कलक्टर पाली द्वारा अपने पत्रांक एफ–12(3) राज/14/2942 दिनांक 01.12.2014 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत में की काट छांट को सही कर तिथि एवं नोटेरी से तस्दीक करवाकर भिजवाने एवं ग्राम पंचायत से नवीनतम एन.ओ.सी एवं बैठक कार्यवाही विवरण की कमीपूर्ति कर भिजवाने का निर्देश दिया गया परन्तु उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या के पक्ष वादग्रस्त आराजी की आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा न तो कोई प्रस्ताव लिया गया और न ही कोई नवीनतम अनापति प्रमाणपत्र जारी किया गया। उसके पश्चात दिनांक 28.06.2016 को पटवारी कोसेलाव, आर.आई कोसेलाव, तहसीलदार सुमेरपुर, उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा गलत रूप से जांच प्रतिवेदन व चैके मीमो करीब एक वर्ष एक माह बाद तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किये, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में जैर अपील आदेश पारित किया। जो कि विधिसम्मत नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने वादग्रस्त आराजी को संपरिवर्तन कराने का आवेदन प्रस्तुत किया एवं नियमो के प्रतिकूल जांच प्रतिवेदन तैयार करवाया गया एवं पटवारी हल्का एवं आर.आई से मिलकर दिनांक 28.06.2010 को उपखंड अधिकारी सुमेरपुर के मार्फत गलत रूप से मौके की जांच किये बिना जांच प्रतिवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भिजवाया गया। रेस्पोडेन्ट सख्या 01 ने आवेदन पत्र के साथ जो एन.ओ.सी संलग्न की है वह करीब 3 वर्ष पूर्व में ही दिनांक 08.09.2011 का प्रस्ताव संख्या 07 का उल्लेख कर 2014 में जारी की गई है। उक्त एन.ओ.सी को वर्तमान ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 14.04.2016 को ग्रामसभा की बैठक में निरस्त करने संबधी प्रस्ताव लिया गया है। एवं ग्राम पंचायत व जनहित के विपरित होने से उक्त एन.ओ.सी को निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त एन. ओ.सी के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.08.2016 के पैरा (5) में आवेदित भूमि का 40.27 प्रतिशत क्षेत्र जनसुविधाओ हेतु छोडने एवं उक्त छोडी भूमि ग्राम पंचायत/राज्य सरकार के खाते में दर्ज करने के आदेश दिये गये थे किन्तु तहसीलदार ने ग्राम पंचायत की बिना जानकारी मे लाये नामान्तरकण संख्या 2439 दिनांक 29.08. 2016 को संपूर्ण संपरिवर्तित आराजी का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम स्वीकृत कर दिया गया। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र के पैरा संख्या 07 के अनुसार 40 प्रतिशत भूमि राज्य सरकार व ग्राम पंचायत की रहेगी, उसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कोई हक–अधिकार व स्वामित्व नहीं रहेगा व जनसुविधाओ के काम आयेगी। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 इसके विपिरित जाकर जनसुविधाओ व ग्राम पंचायत की भूमि पर निर्माण कार्य बिना किसी अनुमति के प्रारम्भ कर दिया। इसके अतिरिक्त तत्कालीन ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा 2014 में जो एन.ओ.सी जारी की गई उस वक्त उक्त भूमि के संबध में राजस्व मंडल के समक्ष राजस्व मुकदमा पेंडिग था, किन्तु मुकदमे के विचाराधीन रहते हुए बिना जांच किये बिना प्रक्रिया अपनाये रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में एन.ओ.सी जारी की, जिसे वर्तमान ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव

लेकर निरस्त कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में न रखते हुए निरस्त एन.ओ.सी के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दिनांक 06.04.2015 को अपनी खातेदारी आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 1275/1 रकबा 1.26 हैक्टर, खसरा नंबर 1276 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नंबर 1277 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नंबर 1281 रकबा 0.34 हैक्टर कुल रकबा 29900 वर्गमीटर की कृषि भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन आवेदन पत्र पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी के संबध में मुकदमो का प्रश्न है तो उपखंड अधिकारी बाली के समक्ष अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत कर खसरा नंबर 1273 से 1281 कुल रकबा 9.57 हैक्टेयर में से 1.89 हैक्टेयर आराजी सिवायचक दर्ज करने का निवेदन किया। उक्त प्रकरण में दिनांक 03.09.2012 को रतनलाल, नारायणसिंह, फुलाराम की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर उपखंड अधिकारी बाली द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.12.2012 द्वारा खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध उक्त पक्षकारान द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या 3686/2014 प्रस्तुत की गई। जिसे माननीय राजस्व मंडल द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.02.2016 द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय के पश्चात उपखंड अधिकारी बाली द्वारा विचाराधीन राजस्व विविध प्रकरण संख्या 103/2012 तहसीलदार सुमेरपुर बनाम देवाराम वगैरा अंतिम बहस सुनी जाकर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 दिनांक 10.03.2016 द्वारा खारिज कर दिया गया। जो निर्णय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में पारित हुआ। उपखंड अधिकारी बाली के उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई अपील समक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय के 5 माह पश्चात दिनांक 19.08.2016 को वादग्रस्त आराजी क संबध जैर अपील आदेश पारित किया है। वक्त निर्णय दिनांक 19.08.2016 के वादग्रस्त आराजी के संबध में कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं था। इसके अतिरिक्त दिनांक 14.04.2016 को बैठक में प्रस्ताव लिया जाकर पूर्व में दिनांक 08.09.11 को एन.ओ.सी हेतु लिए गए प्रस्ताव संख्या 7 एवं उसकी पालना में वर्ष 2014 में जारी एन.ओ.सी को निरस्त कराने का प्रश्न है तो ग्राम पंचायत को विधिअनुसार एक बार प्रस्ताव करने के बाद उस प्रस्ताव को रिकॉल करने और उसे निरस्त करने को विधिक रूप से कोई अधिकार नहीं है। एंव अपीलांट द्वारा ऐसी कोई जानकारी अधीनस्थ न्याायलय के समक्ष प्रस्तुत नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

की गई। इसके अतिरिक्त जिस आदेश को पारित करने की अधिकारिता नहीं होती है, वह आदेश विधितः शून्य होता है और कानून की दृष्टि मे उसका कोई औचित्य नही रहता है। एवं जहां तक प्लान में 40 प्रतिशत भूमि रास्ते और सुविधा क्षेत्र के रूप में छोडी गई है, उस बाबत रेस्पोडेन्टगण का न तो कोई स्वामित्व का क्लैम है न ही आधिपत्य का क्लैम है, न ही भविष्य में कोई क्लैम करेगे। उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज क्यों नहीं की, इस बाबत रेस्पोडेन्ट का कोई दोष नहीं है क्योंकि राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद का कार्य रेस्पोडेन्टगण द्वारा नहीं किया जाता है साथ ही उपरोक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत अथवा राज्य सरकार के नाम दर्ज की जाती है तो उतरदाता को कोई आपत्ति नहीं है साथ ही इस बाबत अपनी सहमति भी देते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से पूर्व तहसीलदार, सार्वजनिक निर्माण विभाग से वादग्रस्त आराजी के संबध में रिर्पोट तलब की गई। जिससे सरकार को कोई क्षति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान संपरिवर्तन नियम की विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दिनांक 06.04.2015 को अपनी खातेदारी आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 1275/1 रकबा 1.26 हैक्टर, खसरा नंबर 1276 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नंबर 1277 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नंबर 1281 रकबा 0.34 हैक्टर कुल रकबा 29900 वर्गमीटर की कृषि भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन आवेदन पत्र पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी के संबध में उपखंड अधिकारी बाली के समक्ष अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत कर खसरा नंबर 1273 से 1281 कुल रकबा 9.57 हैक्टेयर में से 1.89 हैक्टेयर आराजी सिवायचक दर्ज करने का निवेदन किया। उक्त प्रकरण में दिनांक 03.09.2012 को रतनलाल, नारायणसिंह, फुलाराम की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर उपखंड अधिकारी बाली द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.12.2012 द्वारा खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध उक्त पक्षकारान द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या 3686/2014 प्रस्तुत की गई। जिसे माननीय राजस्व मंडल द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.02.2016 द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय के पश्चात उपखंड अधिकारी बाली द्वारा विचाराधीन राजस्व विविध प्रकरण संख्या 103/2012 तहसीलदार सुमेरपुर बनाम देवाराम वगैरा अंतिम बहस सुनी जाकर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 दिनांक 10.03.2016 द्वारा खारिज कर दिया गया। जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाली

निर्णय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में पारित हुआ। उपखंड अधिकारी बाली के उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई अपील समक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय के 5 माह पश्चात दिनांक 19.08.2016 को वादग्रस्त आराजी क संबध जैर अपील आदेश पारित किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि जैर अपील आदेश के वक्त वादग्रस्त आराजी के संबध में कोई भी मुकदमा किसी भी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं था। इसके अतिरिक्त दिनांक 14.04.2016 को बैठक में प्रस्ताव लिया जाकर पूर्व में दिनांक 08.09.11 को एन.ओ.सी हेतु लिए गए प्रस्ताव संख्या 7 एवं उसकी पालना में वर्ष 2014 में जारी एन.ओ.सी को निरस्त कराने का प्रश्न है तो ग्राम पंचायत को विधिअनुसार एक बार प्रस्ताव करने के बाद उस प्रस्ताव को रिकॉल करने और उसे निरस्त करने को विधिक रूप से कोई अधिकार नहीं है। एंव अपीलांट द्वारा ऐसी कोई जानकारी अधीनस्थ न्याायलय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। इसके अतिरिक्त जिस आदेश को पारित करने की अधिकारिता नहीं होती है, वह आदेश विधितः शून्य होता है और कानून की दृष्टि मे उसका कोई औचित्य नही रहता है। जिससे यह तो स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय पारित जैर अपील आदेश राजस्थान संपरिवर्तन नियमो की विधिवत प्रक्रिया की पालना के करते हुए पारित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.08.2016 के पैरा (5) में आवेदित भूमि का 40.27 प्रतिशत क्षेत्र जनसुविधाओ हेतु छोडने एवं उक्त छोडी भूमि ग्राम पंचायत/राज्य सरकार के खाते में दर्ज करने के आदेश दिये गये थे किन्तु संबधित तहसीलदार एवं पटवारी ने उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए जानबूझकर केवल मात्र एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की मंशा से नामान्तरकण संख्या 2441 दिनांक 29.08.2016 को संपूर्ण संपरिवर्तित आराजी का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम स्वीकृत कर दिया गया। जो कि घोर लापरवाही एवं अनियमितता की श्रेणी में आता है। संबधित कार्मिक एवं अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही में अमल में लाई जाने बाबत जिला कलक्टर पाली का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए पारित किया गया है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश के पैरा (5) में आवेदित भूमि का 40.27 प्रतिशत क्षेत्र जनसुविधाओ हेतु छोडने एवं उक्त छोडी भूमि को राज्य सरकार के खाता संख्या 01 में दर्ज कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। एवं जिला कलक्टर द्वारा पारित जैर अपील संपरिवर्तन आदेश क्रमांक एफ/12(3) (31)/सं.प./राज./16/5107 दिनांक 19.08.2016 यथावत रखा जाता है। एवं हस्तगत प्रकरण में संबधित तहसीलदार एवं पटवारी को निर्देशित किया जाता है कि जैर अपील संपरिवर्तन आदेश क्रमांक एफ/12(3) (31)/सं.प./राज./16/5109 दिनांक 19.08.2016 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 10 (5) में कुल सपरिवर्तित क्षेत्रफल का 40.27 प्रतिशत क्षेत्रफल जन सुविधाओं (पार्क, सडक एवं अन्य जनसुविधाओ) हेतु छोडी गई भूमि राज्य सरकार के खाता सख्या 01 में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

45 दिन के भीतर दर्ज की जावे। इस निर्णय की प्रति के साथ जिला कलक्टर पाली का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली